

## राज्य की उत्पत्ति का शाक्ति सिद्धांत

Abdul Quair

राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों में शाक्ति सिद्धांत का अपना महत्व है क्योंकि मानव इतिहास विभिन्न कालखण्डों में संघर्षों का इतिहास रहा है। इस सिद्धांत को राज्य का समाजशास्त्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है। इसकी मूल मान्यता यह है कि राज्य की उत्पत्ति का कारण शाक्ति है। इतिहास में सभी जगह यह देखने को मिलता है कि सबल या शाक्तिशाली जन, गोल, समूह अथवा राष्ट्र निर्बल समूह को पराजित कर अपने में मिला लेते हैं। शाक्ति के द्वारा एक शासक न केवल अपने राज्य को सुरक्षित रखता है बल्कि उसका विस्तार भी करता है। राज्य की उत्पत्ति से लेकर उसका आस्तित्व तक शाक्ति पर निर्भर करता है। शाक्ति सिद्धांत कोई नया या आधुनिक सिद्धांत नहीं है, प्राचीन यूनान में अनेक विद्वान किसी न किसी रूप में इस सिद्धांत को मानते थे जैसे सोफिस्ट थेसीमैकस कहता था कि "न्याय शाक्तिशाली का हित है।" इस उक्ति से यह निष्कर्ष निकलता है कि बलशाली अपने हित में जो कुछ करता है वह उचित है। Polybius तथा आधुनिक काल में मेकिथावेली ने भी यह माना है कि राज्य के आस्तित्व का आधार शाक्ति है।

19वीं तथा 20वीं शताब्दी में कई लेखकों तथा विद्वानों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। उदाहरणार्थ- जर्मन लेखक गोमप्लाविज, राटसेनहोफर, ओपेनहाइमर तथा सिमेल, इंग्लैंड में जेम्स तथा अमरीका में वार्ड तथा स्माल ने अपने-अपने दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या प्रस्तुत की है। यहाँ सभी विचारकों के विचारों का उल्लेख करना संभव नहीं है लेकिन संक्षेप में हम ओपेनहाइमर के विश्लेषण को प्रस्तुत करेंगे। ओपेनहाइमर ने अपनी पुस्तक 'The State' में अपने विचारों का विस्तार से वर्णन किया है। उनका मानना है कि राज्य वह संगठन है जिसमें एक वर्ग अन्य वर्गों के उपर अपना आधिपत्य स्थापित करता है तथा ऐसे वर्ग संगठन का जन्म केवल युद्ध द्वारा एक समूह की दूसरे समूह के उपर विजय द्वारा सम्भव है। ओपेनहाइमर यह मानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक आर्थिक प्रेरणा निहित होती है। मनुष्य की मौलिक आवश्यकताएँ हैं भोजन, वस्त्र तथा मकान। ये आवश्यकताएँ मनुष्यों

के विकास का प्रमुख कारण है। प्रत्येक मनुष्य अपने तथा कुटुम्ब की इन्हीं अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयत्न करता है। इन आवश्यकताओं की संतुष्टि दो प्रकार से सम्भव है - प्रथम कि मनुष्य स्वयं कार्य करके इन आवश्यकताओं को पूरा कर ले, दूसरा वह बल प्रयोग द्वारा दूसरे के श्रम से अपनी इच्छाओं को संतुष्ट कर ले। जहाँ पहला तरीका श्रम का है वहीं दूसरा डाकेजनी या श्रम के अतिक्रमण का है। ओपेनहाइमर दो स्तरों पर इसका विश्लेषण प्रस्तुत करता है - पहला - मानव समाज का कालखंड, दूसरा राज्य की उत्पत्ति की अवस्थाएँ

(1) आदिम आखेटक एवं कृषिगत समाज: ⇒ आदिम आखेटक समाज में राज्य की उत्पत्ति सम्भव नहीं थी क्योंकि उस समय आर्थिक संगठन इतना अधिक विकसित नहीं हो पाया था कि इससे उत्पादित वस्तुएँ सबल समूह द्वारा बलपूर्वक छीन ली जाए। आदिम कृषिगत समाज व्यवस्था भी राजनैतिक नहीं थी क्योंकि कृषिगत समाज छोटे-छोटे ग्रामों में विभाजित था, प्रत्येक ग्राम का एक मुखिया था। यह अवस्था ऐसी नहीं थी कि कृषक युद्ध हेतु दूसरे पर आक्रमण के लिए अपना संगठन बनाते। कृषक भूमि से इतना बंधा हुआ था कि उसमें चलायमानता का अभाव था। इस अवस्था में भूमि की कोई कमी नहीं थी इसलिए भूमि हस्तगत करने के लिए युद्धों की कोई आवश्यकता नहीं थी। आदिम कृषिगत समाज में युद्ध की भावना का पूर्णतः अभाव था क्योंकि युद्ध से किसी प्रकार की सम्पत्ति के लाभ की संभावना नहीं थी।

(2) आदिम पशुपालक समाज: ⇒ इस अवस्था में राज्य संगठन के विभिन्न तत्व विद्यमान थे। यह एक ऐसी अवस्था जिसमें धनी तथा निर्धन वर्ग का जन्म हो गया था। कोई व्यक्ति धनी है या निर्धन इसका निर्धारण पशुओं की संख्या से होता था। यह सामाजिक स्तर को भी निर्धारित करता था। जहाँ आदिम आखेटक एवं कृषिगत समाज में दास प्रथा का अभाव था वहीं पशुपालक समाज में दासता का महत्व बढ़ने लगा। अधिक दास होने पर अधिक पशुओं की देखभाल की जा सकती। पशुओं की बढ़ती संख्या ने नये चारागाहों की खोज को जन्म दिया। इस अवस्था में दास एवं भूमि

की आवश्यकता ने युद्ध को एवं विस्तार को अवश्यभावी बना दिया जिसके कारण राज्य जैसा संगठन आस्तित्व में आया जिसमें वल्लभाही वर्ग निर्बल वर्ग का शोषण करता था।

ओपेनहाइमर ने माना है कि राज्य की उत्पत्ति में ६ अवस्थाएँ देखने को मिलती हैं जो निम्नलिखित हैं।

**प्रथम अवस्था:** ⇒ इस अवस्था में कृषकों तथा आखेटकों का यशुपालकों से लगातार संघर्ष होते रहते थे। प्रथम दो वर्ग आक्रमणकारियों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ थे इसलिए इन्होंने कालान्तर में विशेष करना होड़ दिया।

**द्वितीय अवस्था:** ⇒ इस अवस्था में आक्रमणकारी कृषक तथा आखेट वर्ग के प्राण तथा सम्पत्ति को नष्ट नहीं करते हैं बल्कि उसकी पैदावार में से उसके खाने के लिए होड़कर अतिरिक्त को उठा ले जाते हैं।

**तृतीय अवस्था:** ⇒ इस अवस्था में कृषक स्वयं उनको अपने उपज का एक निश्चित भाग कर के रूप में देना स्वीकार कर लेता है, बदले में विजेता उनके प्राण तथा सम्पत्ति की रक्षा के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं।

**चौथी अवस्था:** ⇒ इस अवस्था में विजित तथा विजेता दोनों के मध्य नये संबंधों की सृष्टि होती है।

**पाँचवी अवस्था:** ⇒ इस अवस्था में विजेता वर्ग विभिन्न ग्रामों के मध्य उत्पन्न होने वाले झगड़ों का पटाक्षेप करने के लिए प्रत्येक ग्राम में एक कर्मचारी नियुक्त कर देते हैं।

**छठी अवस्था:** ⇒ इस अवस्था में विजेता तथा विजित दोनों समूह मिलकर एक हो जाते हैं और विजेता समूह का नेता राजा कहलाने लगता है। इस प्रकार ओपेनहाइमर के मत में राज्य की उत्पत्ति हुई।

**निष्कर्ष:** ⇒ निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि राज्य की उत्पत्ति, आस्तित्व तथा विकास में शाक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है लेकिन राज्य की उत्पत्ति का यह अकेला कारक नहीं है, विभिन्न कारकों के समग्र योगदान से राज्य उदित, पुष्टित एवं ~~क~~ पल्लवित होता है केवल शाक्ति पर आधारित राज्य पिरकाल तक आस्तित्वमान नहीं रह सकता।